रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 1974/आषाढ 6, 1896

No. 285] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 1974/ASADHA 6, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June 1974

S.O. 393(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, I, S. V. Sampath, Vegetable Oil Products Controller for India, hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the

following maximum prices at which vegetable oil products manufactured prior to 15th June, 1974 may be sold in the various zones specified below, namely :—

	ZONE 'A'			ZONE 'B'		
	Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (other than the districts/areas specified in zone 'B') Chandigarh and Delhi.			Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, the districts of Almora, Chamoli Garhwal, Pithoragarh, Tehri Garhwal and Uttar Kashi and the hilly areas of the districts of Dehra Dun and Nainital, in Uttar Pradesh.		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) *In tin containers* (Net capacity, in kilograms)						
16·5	121·03	128·31	129·96	123·40	130·80	132·45
15·0*	110·54	117·20	118·70	112·70	119·47	120·97
4·0	31·82	33·69	34·09	32·40	34·30	34·70
2·0	16·56	17·51	17·71	16·84	17·81	18·01
(b) *In high-density polythene containers* (Net capacity, in kilograms)						
2·0	16·02	16·96	17·16	16·30	17·26	17·46
1·0	8·43	8·93	9·03	8·57	9·08	9·18
(c) *In returnable galvanised-steel drums* Per kilogram, net						
(i) Aerated*	7·28	7·73	..	7·43	7·88	..
(ii) Non-aerated	7·26	7·71	..	7·41	7·86	..
(d) *Loose, in small quantities* Per kilogram, net	..	..	7·86	..	..	8·01

	ZONE 'C'			ZONE 'D'		
	Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands and Pondicherry.			Bihar, Orissa and West Bengal.		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) *In tin containers* (Net Capacity, in kilograms)						
16·5	119·23	126·42	128·07	121·56	128·87	130·52
15·0*	108·89	115·48	116·98	111·02	117·71	119·21
4·0	31·39	33·23	33·63	31·96	33·83	34·23
2·0	16·33	17·28	17·48	16·62	17·57	17·77
(b) *In high-density polythene containers* (Net capacity, in kilograms)						
2·0	15·79	16·73	16·93	16·07	17·02	17·22
1·0	8·31	8·81	8·91	8·46	8·96	9·06
(c) *In returnable galvanised-steel drums* Per kilogram, net						
(i) Aerated*	7·17	7·61	..	7·31	7·76	..
(ii) Non-aerated	7·15	7·59	..	7·29	7·74	..
(d) *Loose, in small quantities* Per kilogram, net	..	..	7·74	..	..	7·89

	ZONE 'E'			ZONE 'F'		
	Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Andaman & Nicobar Island, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram.			Madhya Pradesh, Maharashtra and Goa in the territory of Goa, Daman and Diu.		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) *In tin containers*						
(Ner capacity, in kilograms)						
16·5	123·32	130·72	132·37	120·70	127·96	129·61
15·0*	112·62	119·39	120·89	110·22	116·87	118·37
4·0	32·39	34·28	34·68	31·75	33·61	34·01
2·0	16·83	17·80	18·00	16·50	17·46	17·66
(b) *In high-density polythene containers*						
(Net capacity, in kilograms)						
2·0	16·29	17·25	17·45	15·96	16·91	17·11
1·0	8·56	9·07	9·17	8·40	8·90	9·01
(c) *In returnable galvanised-steel drums*						
per kilogram net						
(i) Aerated	7·42	7·87	..	7·26	7·70	..
(ii) Non-aerated	7·40	7·85	..	7·24	7·68	..
(d) *Loose, in small quantities*						
Per kilogrm, net	..	..	8·00	..	..	7·84

	ZONE 'G'		
	Gujarat Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu in the territory of Goa, Daman and Diu.		
	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
a) *In tin containers*			
Net capacity, in kilograms)			
16·5	119·75	126·97	128·62
15·0*	109·36	115·97	117·47
4·0	31·53	33·37	33·77
2·0	16·39	17·34	17·54
b) *In high density polythene containers*			
Net capacity, in kilograms)			
2·0	15·85	16·79	16·99
1·9	8·34	8·84	8·95
(c) *In returnable galvanised-steel drums*			
Per kilogram, net			
(i) Aerated*	7·20	7·64	..
(ii) Non-aerated	7·18	7·62	..
(d) *Loose, in small quantities*			
Per kilogram, net			7.78

NOTE.—(1) (*) Aerated quality—Manufactured under special permission.

(2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and other local taxes.

(3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation.—In this notification.

(i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16.5 kgs. of vegetable oil products to any one consumer at a time.

(ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product.

(a) to a retailer in any quantity, or
(b) to a consumer exceeding 16·5 kgs. at a time.

[No. 12-12/74-C&P]

S. V. SAMPATH,
Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि मंत्रालय

खाद्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1974

का० आ० 393 (अ).—मैं एस० वी० सम्पथ, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 6 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से निम्नलिखित अधिकतम कीमतें, जिस पर, 15 जून, 1974 के पूर्व विनिर्मित वनस्पति तेल उत्पाद नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में बेचे जा सकेंगी, नियत करता हूं, अर्थात:—

जोन 'क'			जोन 'ख'		
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान उत्तर प्रदेश (जोन 'ख' में दिये गए जिलों तथा क्षेत्रों के अतिरिक्त) चंण्डीगढ़ और दिल्ली।			हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा, चमोली गढ़वाल, पिथोरागढ़, टेहरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिले, तथा देहरादून और नैनीताल जिलों के पर्वतीय क्षेत्र ।		
उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में					
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)					
16.5	121.03	128.31	129.9	123.40	130.80	132.45
15.0*	110.54	117.20	118.70	112.70	119.47	120.97
4.0	31.82	33.69	34.09	32.40	34.30	34.70
2.0	16.56	17.51	17.71	16.84	17.81	18.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख) उच्च घनत्व के पालियोन के आधानों में					
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)					
2.0	16.02	16.96	17.16	16.30	17.26	17.46
1.0	8.43	8.93	9.03	8.57	9.08	9.18
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेबार					
इस्पात के ड्रमों में प्रतिकिलोग्राम, शुद्ध					
(i) वालित	7.28	7.73	..	7.43	7.88	..
(ii) अवालित	7.26	7.71	..	7.41	7.86	..
(घ) खुला, थोड़ी मात्रा में प्रतिकिलोग्राम, शुद्ध	..	..	7.86	..	..	8.01

जोन 'ग' — जोन 'घ'

आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल [illegible] व मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह और पाण्डिचेरी।

उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) डिब्बे के आधानों में					
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)					
16.5	119.23	126.42	128.07	121.56	128.87	130.52
15.0	108.89	115.48	116.98	111.02	117.71	119.21
4.0	31.39	33.23	33.63	31.96	33.83	34.23
2.0	16.33	17.28	17.48	16.62	17.57	17.77
(ख) उच्च घनत्व के पालियोन के आधानों में					
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)					
2.0	15.79	16.73	16.93	16.07	17.02	17.22
1.0	8.31	8.81	8.91	8.46	8.96	9.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लौटाये जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में					
प्रति किलोग्राम शुद्ध					
(i) वातित 7.17	7.61	—	7.31	7.76	—
(ii) अवातित 7.15	7.59	—	7.29	7.74	—
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध	—	7.74	—	—	7.89

	जोन 'ङ'			जोन 'च'		
	असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अन्डमान और निकोबार द्वीप, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, तथा मिजोराम।			मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा, गोवा दमन और गोवा, दमन और दीव के राज्य क्षेत्र है।		
	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता)						
16.5	123.32	130.72	132.37	120.70	127.96	129.61
15.0*	112.62	119.39	120.89	110.22	116.87	118.37
4.0	32.39	34.28	34.68	31.75	33.61	34.01
2.0	16.83	17.80	18.00	16.50	17.46	17.66
(ख) उच्च घनत्व के पालियोन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता)						
2.0	16.29	17.25	17.45	15.96	16.91	17.11
1.0	8.56	9.07	9.17	8.40	8.90	9.01
(ग) लौटाय जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध						
(i) वातित 7.42	7.87	—	7.26	7.70	—	
(ii) अवातित 7.40	7.85	—	7.24	7.68	—	
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध	—	—	8.00	—	—	7.84

जोन 'घ'

गुजरात, दादरा और नागर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव के राज्य क्षेत्र में दमण और दीव

	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
	(1)	(2)	(3)
	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में			
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)			
16.05	119.75	126.97	128.62
15.0*	109.36	115.97	117.47
4.0	31.53	33.37	33.77
2.0	16.39	17.34	17.54
(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आधानों में			
(किलोग्रामों में शुद्धधारिता)			
2.00	15.85	16.79	16.99
1.0	8.34	8.64	8.95
(ग) लौटाये जाने योग्य जस्तवार इस्पात के ड्रमों में			
प्रति किलोग्राम			
शुद्ध (i) वातित	7.20	7.64	—
(ii) अवातित	7.18	7.62	—
(घ) खुला थोड़ी मात्र में प्रति किलोग्राम			
शुद्ध	—	—	7.78

टिप्पणी.—(1) (*) वातित क्वालिटी—विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।

(2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई सम्मिलित है किन्तु उनमें उत्पाद शुल्क, विक्रय-कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं है ।

(3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित है किन्तु विक्रयकर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में :—

(i) फुटकर विक्रेता से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय नहीं करता है।

(ii) "थोक विक्रेता" से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है, जो—

(क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या

(ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में, 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रेय करता है।

[सं० 12-12/74-सी० एण्ड पी०]

एस० वी० सम्पथ,

नियंत्रक, भारतीय वनस्पति तेल उत्पाद ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974